International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2023; 5(2): 25-29
Received: 15-12-2022
Accepted: 24-01-2023

चंदन शुक्ला
शोधार्थी अर्थशास्त्र विषय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा मध्य प्रदेश, भारत

आर. बी. एस. चौहान
प्राध्यापक अर्थशास्त्र, संजय गाँधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
चंदन शुक्ला
शोधार्थी अर्थशास्त्र विषय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा मध्य प्रदेश, भारत

ग्रामीण विकास में पंचायतराज संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन (सीधी जिले के विशेष संदर्भ में)

चंदन शुक्ला, डॉ. आर. बी. एस. चौहान

सारांश
मूलतः पंचायतीराज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विकास की गति तेजकर सभी ग्रामीण जनों को इस प्रक्रिया में सम्मिलित करना है। जिससे लोगों की जरूरतों और उनकी विकास की आंकाक्षाओं को पूर्ण किया जा सके। विकेन्द्रीकृत नियोजन वास्तव में एक बहुस्तरीय नियोजन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के नियोजन के लिए पंचायतीराज निकाय के निचले स्तर– ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर– जनपद पंचायत तथा उच्च स्तर– जिला पंचायत से प्रारंभ करना होगा। पंचायतीराज निकाय के इन तीनों स्तरों द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों की योजना तैयार कर उन्हें धरातल पर लागू करने की महत्वपूर्ण जबाबदेही है। ग्रामीण जनों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने हेतु पंचायतराज निकाय की महती आवश्यकता है। पंचातयीराज की सक्रिय भागीदारी के बिना ग्रामीण गरीबी की चुनौती का सामना नहीं किया जा सकता है। पंचायतों को हमारे ग्रामीण समाजों के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन व विकास की गति को बढ़ाने के एक साधन के रूप में देखा जाता है। प्रस्तुत शोध आलेख में ग्रामीण विकास में पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन सीधी जिले के विशेष संदर्भ में किया गया है।

कुटशब्दः ग्रामीण विकास, कार्यक्रम, योजनाएँ, लाभार्थी, पंचायतराज, सीधी

प्रस्तावना
पंचायतीराज संस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्वतंत्रता के पश्चात्, भारत में ग्रामीण लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से विकास कार्यक्रमों को लागू किया है। ग्रामीण विकास के अन्तर्गत 1952 में प्रारंभ किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रमुख प्रयासों में से एक रहा है। इस कार्यक्रम के प्रति लोगों की भागीदारी की कमी के कारण सामुदायिक विकास सफल नहीं रहा। इसके पश्चात् विकास के संदर्भ में कई कार्यक्रम तैयार किये गये, लेकिन इन सभी कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी एक प्रमुख समस्या बनी रही। हॉलांकि, इसी बीच केन्द्र सरकार ने ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित और उत्प्रेरित करने के लिए विभिन्न तरह से पहल शुरू की गई है। 1970 के दशक में लक्षित समूहों के लिए दृष्टिकोण कार्यक्रम के रूप में लघु किसान विकास ऐजेसी की स्थापना की गई। इसी तरह 1980 के दशक में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तैयार किये गये। लेकिन जब इस तरह के सभी प्रयोग असफल हो गये तो सरकार के नीति निर्मिताओं ने पंचायतीराज व्यवस्था को नये सिरे से तैयार किया गया। हॉलांकि, ऐसा नहीं था इससे पहले भी समय–समय पर प्रभावी लोगों की भागीदारी के लिए पंचायतीराज प्रणाली एक तंत्र के रूप में कार्य करती थी। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में अशोक मेहता समिति के साथ ही विभिन्न समितियों के विचार–विमर्श के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के महत्व को उजागर किया गया था। लेकिन अंत में कई विमर्शो के पश्चात् 1993 में संविधान के 93वें संशोधन के पश्चात् पंचायतीराज को एक नया स्वरूप प्राप्त हुआ। अब यह दृढ़ता के साथ महसूस किया जाने लगा कि एक प्रभावी पंचायतीराज प्रणाली ग्रामीण लोगों की भागीदारी से तीव्र तथा एकीकृत विकास लाया जा सकता है। हाल ही में पुनर्गठित विकास कार्यक्रमों जैसे एस.जी.एस.वाई. एवं एस.जी.आर.वाई. इत्यादि को पंचायतराज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए प्राप्त प्रावधान किये गये हैं। पंचायतें मूलतः ग्रामीण लोगों की स्थानीय सरकारे होती है। पंचायतों का गठन लोकतांत्रिक रूप से किया जाता है और यही लोकतांत्रिक सरकारों की जबावदेही सीधे अपने स्थानीय जनता के प्रति होती हैं। इस प्रक्रिया में लोगों को उन गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए शामिल किया जाता है जो सीधे तौर पर उनके क्षेत्रों एवं जीवन से संबंधित होती हैं। पंचायतें सामान्यतः ग्रामीण गरीबों को विकास की गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने हेतु अनुमति देने के साथ–साथ उनकी हर संभव मदद भी करती है। अर्थात किसी भी कार्य या निर्णय को गोपनीय न रख कर इसमें क्षेत्र के सभी लोगों की समान भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि पंचायतें खुली बैठके आयोजित करें। ऐसी बैठकों में सभी लोग मिल सके और गाँव की समस्याओं और गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर चर्चाएँ कर सके।

देश की सभी राज्य सरकारें गरीबी उन्मूलन हेतु कई तरह के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। चूँकि पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा सभी तरह के विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इसीलिए प्रस्तुत शोध आलेख में प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन उद्देश्य

प्रस्तुत शोध आलेख में निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है–

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर पंचायतराज निकायों का प्रभाव।
2. ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढ़ाचे के विकास, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने में पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका।
3. पंचायतीराज संस्थाओं के विकास के बारे में इनके कार्य–प्रणाली पर ग्रामीण लोगों की धारणाएँ।

शोध विधितंत्र

प्रस्तुत शोध आलेख में सामान्य रूप से जिले के पंचायतीराज प्रणाली के अन्तर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का संग्रह किया गया है। आलेख में प्राथमिक आंकड़ों के संग्रह के लिए दो तरह की साक्षात्कार अनुसूचियाँ तैयार की गई है। प्रथम साक्षात्कार अनुसूची द्वारा उन ग्रामीण लोगों से तत्थ्यात्मक आंकड़ों को एकत्रित करने हेतु उपयोग किया गया है जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत लाभार्थी रहे हैं। वहीं द्वितीयक अनुसूची के द्वारा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के जनप्रतिनिधियों से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तथ्यों को प्राप्त किया गया है। आंकड़ों को सारणीकृत करने के पश्चात् उनकों विश्लेषित किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों का संग्रह प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं, प्रकाशित प्रतिवेदनों, कार्ययोजनाओं, अप्रकाशित शोध प्रबंध, विभागीय दस्तावेजों व अभिलेखों द्वारा एकत्रित किये गये हैं। ये द्वितीयक सूचना स्रोत जिला पंचायत व जनपद पंचायत के कार्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं एवं विभिन्न पुस्तकालयों द्वारा संग्रहित किये गये हैं।

प्रतिचयन आकार

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के गहन व प्रभावपूर्ण अध्ययन हेतु सीधी जिले के सभी पांचों विकासखण्डों का चयन किया गया है। प्रत्येक विकासखण्ड से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए कुल 200 प्रतिचयनित लाभार्थी उत्तरदाता परिवारों का चयन किया है।

परिचर्चा एवं परिणाम

प्रस्तुत शोध आलेख के अध्ययन में संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया गया है–

1. पंचायतीराज प्रणाली के प्रति लाभार्थी जनों (उत्तरदाताओं) की छवि/स्थिति

पंचयतीराज व्यवस्था के छवि से आशय पंचायतीराज संस्थाओं के कार्य–प्रणाली और कार्यकर्ताओं के बारे में ग्रामीण जनों (उत्तरदाताओं) की धारणाएँ व राय से है। इसलिए पंचायतीराज प्रणाली की सेवाओं की उपयोगिता पर ग्रामीण जनों की छवि व सोच के प्रति प्राप्त तथ्यों को निम्न सारणी में दर्ज किया गया है–

सारणी क्रमांक 1: पंचायतीराज प्रणाली के प्रति लाभाथियों की स्थिति

क्र.सं.	ग्रामीण उत्तरदाताओं की राय	उत्तरदाताओं की सामाजिक श्रेणी				कुल
		सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
1.	अच्छा है	22 (68.7)	64 (84.2)	58 (77.3)	8 (47.0)	152 (76.0)
2.	अच्छा नहीं है	4 (12.5)	6 (7.9)	6 (8.0)	5 (29.4)	21 (10.5)
3.	मालूम नहीं	6 (18.8)	6 (7.9)	11 (14.7)	4 (23.6)	27 (13.5)
कुल		32 (100.0)	76 (100.0)	75 (100.0)	17 (100.0)	200 (100.0)

स्रोतः क्षेत्रीय आंकड़ें (जून 2022)

उपरोक्त सारणी द्वारा प्रदत्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 76 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणालियाँ संतोषजन हैं। केवल 10.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओ की कार्यप्रणाली व उनकी सेवाएँ उपयोगी नही हैं। जबकि 13.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पंचायतीराज व्यवस्था के तहत ग्रामीण विकास के बारे में वे कुछ नहीं जानते हैं। इस तरह विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में अन्य पिछड़ी जाति के उत्तरदाताओं के उच्चतम प्रतिशत (84.2 प्रतिशत) ने पंचायतीराज की उपयोगिता को स्वीकार किया है। यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि अनुसूचित जनजाति के उत्तरदाताओं ने नकारात्मक दृष्टिकोण (29.4 प्रतिशत) के साथ–साथ उनमें अज्ञानता का भाव भी सर्वाधिक (23.6 प्रतिशत) के साथ सभी सामाजिक श्रेणी के उत्तरदाताओं में शीर्ष स्थान पर है।

2. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में जागरूकता व ज्ञान

पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा चलायी जा रही विभिन्न प्रकार की विकासात्मक योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गो की सहायता करना रहा है। ये सभी विकासात्मक योजनाएँ काश्तकारों, खेतिहर मजदूरों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों इत्यादि सभी के लिए सहायक है। ग्रामीण विकास योजनाएँ एवं कार्यक्रमों के लाभर्थियों की एक पूर्व आवश्यकता का अनुमान लगाने हेतु उनके ज्ञान व ज्ञागरूकता से संबंधित तथ्यों की जानकारी संकलित की गई है। जिसका विवरण निम्न सारणी में दर्ज किया गया है।

सारणी क्रमांक 2: प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रति ज्ञान व ज्ञागरूकता

क्र.सं.	ग्रामीण विकास योजनाओं के नाम	उत्तरदाताओं की सामाजिक श्रेणी					योग (कुल उत्तरदाता)
		सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	
1.	मनरेगा योजना	22 (12.0)	60 (33.0)	70 (38.5)	30 (16.5)	182 (91.0)	200 (100)
2.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	20 (11.9)	55 (32.7)	65 (38.8)	28 (16.6)	168 (84.0)	200 (100)
3.	अंत्योदय अन्न योजना	19 (10.2)	62 (33.8)	70 (38.0)	33 (18.0)	184 (92.0)	200 (100)
4.	स्वच्छ भारत मिशन योजना	30 (16.0)	59 (31.5)	69 (36.9)	29 (15.6)	187 (93.5)	200 (100)
5.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना	15 (9.0)	61 (36.3)	62 (36.9)	30 (17.8)	168 (84.0)	200 (100)
6.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना	18 (11.6)	52 (33.5)	66 (42.6)	19 (12.3)	155 (77.5)	200 (100)

स्रोतः क्षेत्रीय आंकड़ें (जून 2022)

उक्त आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत संचालित प्रमुख योजनाओं के प्रति लाभार्थी उत्तरदाताओं की संख्या भिन्न–भिन्न है। मनरेगा योजना के प्रति 38.5 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति वर्ग के है। वहीं दूसरे क्रम में 33 प्रतिशत लोग अन्य पिछड़ा वर्ग के है। अतः मनरेगा योजना के प्रति ग्रामीण जनों को जानकारी है। इसी तरह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रति अनुसूचित जाति के लाभार्थियों का प्रतिशत सर्वाधिक (38.8 प्रतिशत) है। वहीं दूसरे क्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का प्रतिशत 32.7 है। अंत्योदय अन्न योजना के संबंध में क्रमशः 38 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 33.8 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को इसके बारे में जानकारी है। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के बारे में 36.9 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 31.5 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ–साथ 16 प्रतिशत सामान्य वर्ग के जाति तथा 15.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोगों को जानकारी है। प्राप्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि क्रमशः 36.9 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा सबसे कम (9 प्रतिशत) सामान्य जाति के लोगों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के बारे में जानकारी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के प्रति सबसे कम 11.6 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लोगों को तथा सबसे अधिक 42.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों को जानकारी है। कुल सर्वेक्षित 200 उत्तरदाताओं में से 187 (93.5 प्रतिशत) लोगों को स्वच्छ भारत मिशन योजना के बारे में जानकारी है। इसके बाद दूसरे क्रम में अंत्योदय अन्न योजना के प्रति 184 (92 प्रतिशत) लोगों को जानकारी है। तीसरे क्रम में मनरेगा की जानकारी रखने वाले लोगों की संख्या 182 (91 प्रतिशत) है। वहीं चौथे एवं पांचवें क्रम में क्रमशः समान रूप से 168 (84 प्रतिशत) लोगों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना एवं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की जानकारी है। जबकि छाठवें क्रम में सबसे कम 155 (77.5 प्रतिशत) लोगों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के बारे में जानकारी है।

3. लाभार्थी ग्रामीण लोगों के चयन हेतु संतुष्टि का स्तर

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा आरंभ किये गये विभिन्न प्रकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम तभी मिलते हैं, जब वास्तव में जरूरत मंद लोगों को उन कार्यक्रमों को प्राप्त करने हेतु नामांकित किया जाय। प्रायः ऐसी खबरे आती रहती हैं कि कुछ योजनाओं में संम्पन्न एवं दबंग परिवार के लोग अपने नाम दर्ज करा लेते हैं। लाभार्थियों को विभिन्न विकास योजनाओं के चयन हेतु उनकी संतुष्टि को व्यक्त करने के लिए जानकारी संग्रहित की गई है। जिसे निम्न सारणी में व्यक्त किया गया है–

सारणी क्रमांक 3: ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए लाभार्थियों के चयन हेतु संतुष्टि का स्तर

क्र.सं.	सामाजिक श्रेणी	प्रतिक्रया			कुल
		सतुष्ट	असंतुष्ट	कोई प्रतिउत्तर नहीं	
1.	सामान्य श्रेणी	18 (56.3)	11 (34.4)	3 (9.3)	32 (16.0)
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	32 (42.1)	39 (51.3)	5 (6.6)	76 (38.0)
3.	अनुसूचित जाति	36 (48.0)	31 (41.3)	8 (10.7)	75 (37.5)
4.	अनुसूचित जनजाति	7 (41.2)	4 (23.6)	6 (35.2)	17 (8.5)
कुल		93 (46.5)	85 (42.5)	22 (11.0)	200 (100.0)

स्रोतः क्षेत्रीय आंकड़ें (जून 2022)

उपरोक्त सारणी द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से जात होता है कि कुल प्रतिचयनित उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 93 उत्तरदाता (46.5 प्रतिशत) विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों के चयन पर संतोष व्यक्त किये हैं। लेकिन शेष 85 उत्तरदाता (42.5 प्रतिशत) असंतुष्ट हैं। वहीं 22 उत्तरदाता (11 प्रतिशत) ने इस संबंध में अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है। सामाजिक श्रेणीवार विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति के लोग सबसे अधिक संतुष्ट है। वहीं सबसे कम संख्या में सामान्य श्रेणी के लोग संतुष्ट है। जबकि असंतुष्ट होने में सबसे अधिक संख्या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की है। इसी तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं देने की स्थिति में सबसे अधिक संख्या जनुसूचित जाति के लोगों की है। जबकि दूसरे क्रम में अनुसूचित जनजाति के लोग है।

4. लाभार्थियों के चयन में उत्तरदाताओं के विचार

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों के चयन के संबंध में लगभग आधे उत्तरदाता असंतुष्ट थे जैसा कि सारणी क्रमांक 3 से ज्ञात हुआ है। लाभार्थियों के चयन हेतु उनकी संतुष्टि के स्तर का गहन परीक्षण किया गया। इस संबंध में उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया को सारणी बद्ध कर सुझाव देने हेतु कहा गया। जिसे निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी क्रमांक 4: लाभार्थियों के चयन पर उत्तरदाताओं के विचार

क्र.सं.	प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की सामाजिक श्रेणी				कुल
		सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
1.	ग्राम सभा की बैठक	24 (15.0)	74 (97.4)	69 (92.0)	13 (7.6)	180 (90.0)
2.	ग्राम पंचायत संरपच	4 (12.6)	1 (1.3)	3 (4.0)	1 (5.9)	9 (4.5)
3.	ग्रामीण नेता	2 (6.2)	1 (1.3)	2 (2.6)	2 (11.7)	7 (3.5)
4.	शासकीय अधिकारी/कर्मचारी	2 (6.2)	–	1 (1.4)	1 (5.9)	4 (2.0)
कुल		32 (100.0)	76 (100.0)	75 (100.0)	17 (100.0)	200 (100.0)

स्रोतः क्षेत्रीय आंकड़ें (जून 2022)

उपरोक्त सारणी में दर्शित आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों के चयन के लिए ग्राम सभा की बैठक को उपयुक्त बताया है। वहीं कुल उत्तरदाताओं में से केवल 8 प्रतिशत लोगों ने लाभार्थियों के चयन के लिए राजनीतिक भागीदारी का समर्थन किया है। जबकि केवल 2 प्रतिशत लोगों ने चयन प्रक्रिया को संबंधित अधिकारियों के द्वारा कराये जाने की बात कही है। प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों ने अधिकारियों के द्वारा लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया हेतु अपना कोई अभिमत नहीं दिया है। इसी तरह ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों के चयन हेतु ग्राम पंचायत सरपंच, ग्रामीण नेता तथा शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों आदि के हस्ताक्षेप की मिली–जुली प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। ये प्रतिक्रियाएँ संख्या तथा प्रतिशत में बहुत कम हैं। अतः उक्त परिणामों व सुझावों से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम सभा की बैठक में विभिन्न विकास कार्यक्रम व योजनाओं के लिए अपने नाम दर्ज करने से जरूरत मंद तथा वंचित वर्गो के लोगों को उचित अधिकार प्राप्त हो सकेगा। वास्तव में, ग्रामीण विकास की यह एक स्वस्थ्य परम्परा है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने व लाभार्थियों के चयन हेतु लोकतांन्त्रिक पद्धति के सिद्धान्त की मान्यता ग्रामीण जनों ने दी है।

5. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की उपयोगिता

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं योजनाएँ व्यापक स्तर पर लागू की गई हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं से इन कार्यक्रमों की उपयोगिता या गैर उपयेगिता के बारे में धारणाएँ तथा उनके अभिमत प्राप्त किये गये हैं। जिसे निम्न लिखित सारणी में दर्ज किया गया है–

सारणी क्रमांक 5: ग्रामीण विकास योजनाओं की उपयोगिता के बारे में प्राप्त अभिमत

क्र.सं.	सामाजिक श्रेणी	प्रतिक्रया			कुल
		उपयोगी	उपयोगी नहीं	कोई प्रतिउत्तर नहीं	
1.	सामान्य श्रेणी	30 (93.8)	1 (3.1)	1 (3.1)	32 (16.0)
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	72 (94.7)	3 (3.9)	1 (1.4)	76 (38.0)
3.	अनुसूचित जाति	66 (88.0)	6 (8.0)	3 (4.0)	75 (37.5)
4.	अनुसूचित जनजाति	15 (88.2)	1 (5.9)	1 (5.9)	17 (8.5)
कुल		183 (91.5)	11 (5.5)	6 (3.0)	200 (100.0)

स्रोतः क्षेत्रीय आंकड़ें (जून 2022)

उपरोक्त सारणी के अनुसार 91.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है। केवल 5.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इन कार्यक्रमों के नकरात्मक प्रभाव को व्यक्त किये हैं। सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया है कि जो उत्तरदाता मध्यम भूमिधारी है, वे उत्तरदाताओं ने मनरेगा कार्यक्रम की गैर उपयोगिता को स्पष्ट किया है। अर्थात मनरेगा कार्यक्रम के प्रति अधिकांश उत्तरदाताओं ने असंतोष व्यक्त किया है। क्योंकि इस कार्यक्रम में उन्हें सस्ती दर पर श्रम कार्य प्राप्त करना मुश्किल है। सामान्य श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक–एक उत्तरदाताओं ने ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रति अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सामान्य श्रेणी के 93.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इन योजनाओं की उपयोगिता को सार्थक बताया है। जबकि 3.1 प्रतिशत उत्तरदाता ने अपनी नकरात्मक प्रतिक्रिया दी है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के 94.7 प्रतिशत लोगों ने सकारात्मक तथा 3.9 प्रतिशत लोगों ने नकारात्मक उदगार दिये हैं। इसी तरह से अनुसूचित जाति के 88 प्रतिशत लोगों ने ग्रामीण विकास की योजनाओं को उपयोगी माना है। जबकि 8 प्रतिशत ने इन्हें उपयोगी नहीं माना है। वहीं 88.2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के उत्तरदाताओं ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को उपयोगी बताया है। जबकि 5.9 प्रतिशत लोगों ने इन्हें अनुपयोगी माना है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

भारत जैसे विकासशसील देश में पंचायतीराज प्रणाली अत्यधिक व्यवहारिक व तर्क संगत है। यह लोकतांन्त्रिक व्यवस्था व उसकी भावना के साथ पूर्ण सामंजस्य रखती है। पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में लोगों की जागरूकता है। इसका दायरा वृहद व व्यापक है। इस तरह एक विकास संस्था के रूप में पंचायतीराज व्यवस्था की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि पंचायतीराज संस्थाओं की मुख्य जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्रों का त्वरित गति से विकास करना है। विकास की इस प्रक्रिया में प्रत्येक ग्रामीण को सम्मिलित कर उनकी आवश्यकताओं एवं विकास की आकांक्षाओं को पूर्ण किया जाना चाहिए है। लगभग 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विकास कार्यक्रमों के प्रति लाभार्थियों के चयन की वर्तमान प्रक्रिया से संतुष्ट है। 90 प्रतिशत लोगों ने लाभार्थियों के चयन की निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए ग्राम सभा की बैठक को उपयुक्त बताया है। 91.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी हैं। पंचायत के स्तर में वृद्धि के साथ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संबंध में पंचायतीराज निकाय के प्रति जागरूकता का स्तर बढ़ रहा है। अधिकांश ग्रामीण जनों ने माना है कि चल रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रम उनके लिए उपयोगी हैं। पंचायतीराज निकाय की व्यवस्था में स्थानीय ग्रामीण नेताओं की भागीदारी लगभग शून्य है। जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदार्शिता है। ग्रामीण

विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतीराज व्यवस्था की उपयोगिता वर्तमान में बढ़ी है। प्रस्तुत शोध आलेख के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तथ्यों के आधार पर पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों का कर्तवय है कि वे नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठके आयोजित करें। ग्रामीण विकास योजनाओं को ग्रामीण जनों को उनकी भाषा में समझाने व बताने से योजनाओं की प्रभावशीलता की जानकारी हो सकेगी। ग्राम सभा की बैठकों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कई लोग बैठकों में अपने विचार को व्यकत करने में हिचकिचाते हैं। निवार्चित सदस्यों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, जिससे ग्रामीण जनों में किसी प्रकार का डर न रहे और अपनी बात को स्पष्ट लहजे में कह सके। अर्थात ग्रामीण जनों के विचारों को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। इस तरह की बैठकों से लोगों की पहचान को सकेगी, जो वास्वत में गरीब हैं, उनको योजनाओं की आवश्यकता है। सभी के साथ बैठक करने तथा खुली परिचर्चा द्वारा विकास के मुद्दे निकल कर सामने आते हैं। जिससे उन्हें लागू करना आसान होता है। उक्त सुझावों को अमल में लाने से ग्रामीण विकास के मुद्दे व मानदण्डों का पालन ईमानदारी से करने पर पंचायतीराज प्रणाली की दूरर्शिता स्वमेय सिद्ध होगी और ग्रामीण विकास सफल होगा।

अभिस्वीकृति

प्रस्तुत शोध आलेख को पूर्ण करने में सीधी जिले के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले नागरिकों के प्रति में आभारी हूँ। जिन्होंने शोध अध्ययन से संबंधित संम्पूर्ण जानकारी देने में कोई समस्या नहीं आने दी। साथ ही इस शोध कार्य में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करने हेतु मैं विकासखण्ड के जनपद कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। यह अध्ययन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु समर्पित है।

संदर्भ स्रोत

1. अग्रवाल, पी. के., भारत में पंचायती राज, ज्ञान गंगा प्रकाशन, दिल्ली, 2003.
2. बैरवा, बुद्धी प्रकाश एवं कुमावत, महेश, राजस्थान के ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन, जर्नल ऑफ मार्डन मैनेजमेन्ट एण्ड इन्टरप्रेन्योर्शिप. 2019 अपैल;9(2):151–155.
3. द्विवेदी, राधेश्याम, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, सुविधा लॉ प्रकाशन, भोपाल; 2005.
4. कुमार, के. एवं महाजन ए., ग्रामीण विकास में पंचायतीराज की भूमिका, इंन्टरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस इन सोशल साइंस. 2021 अपैल–जून;9(2):120–122.
5. कुजूर, निस्तार, ग्रामीण विकास योजनाओं का आदिम जनजाति कमार पर प्रभाव (गरियाबंद जिला के मानपुर विकासखण्ड के संदर्भ में) इंन्टरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस इन सोशल साइंस. 2015 अपैल–जून;3(2):53–57.
6. मुखर्जी, नीला, संसाधन स्थिरता : विकासात्मक लक्ष्य एवं पंचायती राज संस्थान, कुरुक्षेत्र. 1996 अप्रैल;52(7):25–27
7. पद्माकर, पी.एल.डी.वी., पंचायत राज एक नजर पीछे, कुरुक्षेत्र. 1998 फरवरी;52(3):22–26.
8. पात्र, आदित्य कुमार. ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और पंचायती राज संस्थान : एक सिंहावलोकन, एम.आर. बीजू (संम्पादन) 'टिकाऊ ग्रामीण आजीविका और विकास की दिशा में पंचायती राज प्रणाली', कनिष्क प्रकाशक, नई दिल्ली; 2008. पृ. 154–155.
9. पंत, डी. सी., भारत में ग्रामीण विकास, कालेज बुक डिपा; 2000.
10. पवार, मिनाक्षी, पंचायती राज और ग्रामीण विकास, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी नई दिल्ली; 1998.
11. तोमर, संजय, ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा; 2017.
12. शर्मा, श्रीनाथ एवं सिंह, कुमार मनोज, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली; 2014.
13. शर्मा, बी. एम., शर्मा, ब्रज भूषण एवं भट्ट, आशीष, जिला सरकार अवधारणा, स्वरूप एवं संभावनाएँ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर; 2011.
14. सिंह, बी. जी., ग्राम पंचायत में जनसहभागिता, विजय प्रकाशन म न्दिर, वाराणासी; 2002.
15. श्रीवास्तव, एम. राजस्थान के आर्थिक विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका (अप्रकाशित शोध ग्रन्थ) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर; 1999.
16. सिंह, रणबीर, पंचायती राज संस्थाओं को अब तक सशक्त क्यों नहीं बनाया गया, कुरुक्षेत्र. 2004 जनवरी;52(3):42–43.